सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-809/JH/29/2022-ESDW **दिनांक: 19.07.2024**

सेवा में,

श्री राहुल कुमार सिन्हा,
उपायुक्त, रांची,
कचहरी चौक ब्लॉक-बी,
कमरा नंबर-504,
राँची-834001, झारखण्ड
ई-मेल: dc-ran@nic.in
फोन नं. 0651-2214001

विषय: श्री नाथ मुंडा, ग्राम बुकरू, थाना-कांके, जिला-रांची, झारखंड की खतियान जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में श्री नारायण भगत, प्रधान सचिव, टाना भगत शिष्ट मण्डल प्रतिनिधि कमेटी, शास्त्री नगर, डेम साईड, गुमला, झारखंड का दिनांक 13.07.2022 एवं 13.08.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 17.10.2022.
संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 07.07.2023.
संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 26.07.2024 को अप्राहन 12:40 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वैबसाइट पर अपलोड हेतु।